ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.18, NO.1, JAN-JUNE,2023 /91

वैश्विक परिदृश्य में विवाह रूपी संस्था में परिवर्तन एवं इसका भविष्य

–डॉ0 देवेन्द्र नाथ मिश्र
असि0प्रो0 समाजशास्त्र
गनपत सहाय पी0जी0 कालेज
सुलतानपुर, उ0प्र0।

सारांश–

विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो विश्व के प्रत्येक भाग में पायी जाती है। प्रत्येक समाज में चाहे वह आदिम हो अथवा आधुनिक ग्रामीण हो या नगरीय विवाह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। यह वह संस्था है जिसके द्वारा स्त्री व पुरूष का यौन–सम्बन्ध समाज द्वारा मान्य तरीकों से व्यवस्थित होता है तथा परिवार को बसाने और बच्चों को जन्म देने व उनका लालन पालन करने का उद्देश्य पूरा किया जाता है। प्रायः विभिन्न समाजों में विवाह के भिन्न–भिन्न उद्देश्य होते हैं लेकिन कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जो सभी समाजों में विद्यमान रहते हैं और सर्वमान्य होते हैं, जैसे यौन इच्छा की पूर्ति सन्तानोत्पत्ति और बच्चों का पालन–पोषण इत्यादि। विवाह संस्था द्वारा ही व्यक्ति परिवार की स्थापना करके संस्कृति संरक्षण का कार्य करता है। लेकिन वर्तमान समय में औद्योगीकरण, नगरीकरण विज्ञान एवं संचार क्रान्ति तथा आधुनिक शिक्षा एवं मूल्य व्यवस्था ने विवाह रूपी संस्था में व्यापक परिवर्तन ला दिया है। आज इसकी प्रकृति, आकार, स्वरूप और उद्देश्यों में तीव्र गति से परिवर्तन होता जा रहा है। अनेक समाजशास्त्रीय शोधों ने इस भय को पुष्ट किया है कि एक संस्था के रूप में विवाह का भविष्य खतरे में है। तो ये कहना हमें लगता है कि जल्दबाजी होगी क्योंकि अनेक समाजशास्त्रीय शोधों ने यह निष्कर्ष दिया है कि जिस प्रकार समय परिवर्तन शील है और प्रत्येक संस्थायें भी परिवर्तन के बहाव में है उसी प्रकार विवाह रूपी संस्था भी परिवर्तन शील है अर्थात उसके कुछ पक्षों में जरूर परिवर्तन हो रहा है लेकिन जब तक विवाह का उद्देश्य प्रजनन, बच्चों का पालन पोषण और परिवार निर्माण का आधार रहेगा तब तक यह संस्था अपने बदले स्वरूप में हमेशा विद्यमान रहेगी।

विवाह, परिवार और नातेदारी मानव समाज की तीन मौलिक सामाजिक संस्थायें है और इन तीनों का सम्बन्ध मानव के यौन–जीवन से है। सभी प्राणियों में यौन सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा होती है और मनुष्य की इसी इच्छा ने विवाह रूपी संस्था को जन्म दिया है। इस तरह सहवास जहाँ एक जैविक क्रिया है वहीं विवाह एक सामाजिक एवं धार्मिक संस्कार है। जिसने परिवार रूपी समिति को जन्म दिया है। यद्यपि विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है पर लेविस हेनरी मॉर्गन का कहना है कि मानव सभ्यता के आरम्भ में विवाह रूपी संस्था नहीं थी। बल्कि यौन साम्यवाद की स्थिति थी। धीरे–धीरे तकनीकी विकास के साथ–साथ भिन्न–भिन्न प्रकार के विवाह एवं पारिवारिक स्वरूप उभरकर आये। एकल विवाह को उन्होंने विवाह का सर्वोच्च स्वरूप माना है। वेस्टर मार्क ने विवाह की चर्चा करते हुए कहा है कि ''विवाह एक या अधिक पुरूषों का एक या अधिक सित्रियों के साथ होने वाला वह सम्बन्ध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों में और उनसे उत्पन्न सम्भावित बच्चों के बीच में एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है।'' इस प्रकार विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रथा या नियम के अनुसार दो या अधिक स्त्री–पुरूषों के यौन–सम्बन्धों को नियमित करने की वह संस्था है जिसका उद्देश्य घर बसाना तथा बच्चों के पालन पोषण हेतु एक स्थायी आधार प्रदान करना है।

विवाह के प्रकार एवं स्वरूप–

सामान्य रूप से विवाह के दो स्वरूप है

1. एक विवाह, 2. बहु विवाह

एक विवाह उस विवाह को कहा जाता है जिसमें एक स्त्री या पुरूष केवल एक पुरूष या स्त्री से ही विवाह करता है और कोई भी अपने प्रथम जीवन साथी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। जिन समाजों मे सामान्य रूप में सित्रियों और पुरूषों का अनुपात बराबर है, वहाँ प्रायः एक विवाह प्रथा ही पायी जाती है। आज आधुनिक समाजों में इसी प्रकार का विवाह सर्वस्वीकृत प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित है।

बहु विवाह, विवाह का वह स्वरूप है जिसमें पत्नियों या पतियों की संख्या एक से अधिक होती है। बहु विवाह के तीन स्वरूपों का वर्णन किया गया है। 1. बहुपति विवाह 2. बहुपत्नी विवाह 3. समूह विवाह। बहुपति विवाह वह विवाह है जिसमें एक स्त्री के साथ दो या अधिक पुरूषों का विवाह होता है। इसी प्रकार बहुपत्नी विवाह में एक पुरूष का दो या दो से अधिक सित्रियों के साथ विवाह होता है। समूह विवाह में एक समूह के सभी पुरूषों का विवाह दूसरे समूह की सभी सित्रियों के साथ होता है। विवाह का यह स्वरूप आस्ट्रेलिया के कुछ आदिवासियों में पाया जाता है। भारत में इस प्रकार का विवाह किसी भी समाज में नही पाया जाता है।

विवाह का प्रकार्य या महत्व –

प्रायः विभिन्न समाजों में विवाह के भिन्न–भिन्न उद्देश्य होते है, फिर भी विवाह के कुछ ऐसे सर्वसामान्य उद्देश्य होते है जो सभी समाजों में सामान्य रूप से पाये जाते है जैसे यौन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति तथा पितृत्व एवं मातृत्व द्वारा व्यक्ति को आत्म–संतुष्टि प्रदान करना विवाह का मुख्य जैविकीय प्रकार्य है। सामूहिक स्तर पर विवाह व्यक्ति की संस्कृति एवं उसके जीवन को नियमित करने का कार्य करता है जैसे यौन संबन्धों का नियमन , जिससे पितृत्व का निर्धारण हो सके अतः कोई भी समाज अवैध संबन्ध को मान्यता नहीं देता है। बचपन के आरम्भिक वर्षों के दौरान बच्चे को एक सामाजिक प्रस्थिति प्रदान करना सामाजिक स्थिरता की दृष्टि से आवश्यक है। इससे वह अपने भूमिका, दायित्वों एवं अन्य सदस्यों के साथ अपने संबन्धों को स्पष्ट तौर पर जानपाता है। सामाजिक प्रस्थिति उसके अन्दर सामाजिक सुरक्षा के भाव का संचार करती है। वह महसूस करता है कि समाज में उसकी एक जगह है और विवाह बच्चे को वैधता प्रदान करके उसे यह प्रस्थिति प्रदान करता है। संस्कृति किसी भी समाज की विरासत होती है जो समाज की निरन्तरता एवं एकीकरण में अमूल्य योगदान देती है। विवाह परिवार की स्थापना करके समाजीकरण के माध्यम से संस्कृति संरक्षण के कार्य को संभव बनाता है।

विवाह में आधुनिक परिवर्तन–

औद्योगीकरण, आधुनिक शिक्षा एवं मूल्य व्यवस्था तथा कानून के प्रभाव, वैश्वीकरण, बाजारीकरण एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव के कारण विवाह रूपी संस्था के संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक दोनों पक्षों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। जैसे विवाह पूर्व यौन संबन्धों को मान्यता, को–लिबिंग, बिना विवाह प्रजनन को मान्यता, आदि के कारण यौन संबन्धों तथा मातृत्व एवं पितृत्व को वैधता प्रदान करने वाली संस्था के रूप में विवाह के महत्व में कमी आयी है। विवाह के परम्परागत लक्ष्यों में परिवर्तन हुआ है अब बिना विवाह के परिवार के निर्माण को मान्यता मिल जाने के कारण परिवार के आधार के रूप में भी विवाह के महत्व में कमी आयी है। अब विवाह के स्वरूपों में भी परिवर्तन हुआ है जैसे बहुविवाह से एक विवाह, क्रमिक एक विवाह तथा विवाह संबन्धों के स्थायित्व में कमी, समलैंगिक विवाह का उद्भव हुआ है। अब विवाह की आयु में भी कम आयु से अधिक आयु की ओर परिवर्तन हुआ है। जीवन साथी के चयन में युवक–युवतियों की राय का महत्व बढ़ गया है। विवाह में परिवार के स्थान पर व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है। निषेध संबन्धी नियम भी कमजोर हुए हैं।

विवाह संबन्धी रीति–रिवाजों का आधुनिकीकरण हुआ है कोर्ट मैरेज के प्रचलन में वृद्धि तथा विवाह का बाजारीकरण हो रहा हैं।

आज मुख्यतः पश्चिमी समाजों में विवाह का प्रचलन घट रहा है और लोगों में विवाह के अन्य विकल्पों का प्रचलन बढ़ रहा है। राबर्ट चेस्टर ने बिटेन के अपने अध्ययन के दौरान पाया कि विवाह की दर में कमी आ रही है, 1990 में जहॉ 6.8 प्रति वर्ष/हजार था वहीं 1995 में यह 6/वर्ष/हजार से भी कम हो गई है। 18–49 वर्ष की आयु वाली अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत जो सह निवास के रूप में रह रही हैं, 1981 की 12.5 प्रतिशत की तुलना में 1996–97 में 25 प्रतिशत हो गई है। एकल व्यक्ति गृहस्थी की संख्या में भी वृद्धि हो रही है।

जान मैकिनिस व केन प्लमर ने 2001 के अपने अध्ययन में पाया कि अमेरिका में 20–24 वर्ष की उन महिलाओं का अनुपात जो अकेली थी 1960 के 28 प्रतिशत से बढ़कर 1994 में 67 प्रतिशत हो गया है। तलाक की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है आज पश्चिमी समाजों में पांच विवाहों में से तीन का अंत तलाक के रूप में हो रहा है। एन्थोनी गिडेन्स ने भी बताया कि USA और UK में विवाह पूर्व यौन सम्बन्धों का प्रतिशत 1960 के 4 प्रतिशत से बढ़कर 1998 में 20 प्रतिशत हो गया है। वैश्वीकरण के कारण एशियाई देश भी इन परिवर्तनों से प्रभावित हुए है।

विवाह का भविष्य–

एक सामाजिक संस्था के रूप में आज विवाह और परिवार की प्रकृति, आकार, स्वरूप और उद्देश्यों में तीव्र गति से परिवर्तन आया है। विवाह के पूर्व और विवाह के अतिरिक्त सहवास, विवाह रहित संतान–उत्पादन और लालन–पालन, तलाक की उच्च दरों आदि को देखते हुए हाल में हुए अनेक समाजशास्त्रीय शोधों ने इस बात की संभावना व्यक्त की है कि एक संस्था के रूप में विवाह में क्षीणता आ रही है। चेस्टर बर्नार्ड ने अपने पश्चिमी देशों के अध्ययन में पाया कि यहां प्रत्येक 5 में से 3 विवाह का अंत तलाक के रूप में हो रहा है। एन्थोनी गिडेन्स ने भी अपने विकसित देशों के अध्ययन में बताया कि इन देशों में विवाह की संस्था धीरे–धीरे फैशन के चलन से बाहर होती जा रही है। अब अधिकाधिक व्यक्ति वैवाहिक संबन्धों के बाहर सहवास को प्राथमिकता देने लगे हैं। बच्चों का पालन–पोषण भी इसके बाहर करने लगे है। को–लिविंग की प्रथा बढ़ रही है। आज कुछ महिलावादियों जैसे एल0एम0 पर्डी, एम0 बैरेट व एम0 मैकइंटोश एल0 निकोलसन द्वारा विवाह को एक उत्पीड़क एवं दमनकारी संस्था मानते हुए इसे लिंग असमानता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा रहा है जिससे समलैंगिक विवाहों की प्रवृत्ति खुले तौर पर सामने आ गयी है। स्वीडन, नार्वे, नीदरलैण्ड जैसे देशों में ऐसे विवाहों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। भारत देश में यह मुद्दा न्यायालय में विचाराधीन है।

इन हालातों को देखते हुए आज विवाह का भविष्य अंधकारमय लगने लगा है। कुछ विद्वानों के द्वारा आज विवाह के भविष्य के बारे में निराशावादी विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं। परन्तु उपर्युक्त परिवर्तनों के बावजूद यह कहना जल्दबाजी होगी कि आने वाले समय में विवाह रूपी संस्था समाप्त हो जायेगी। आज भी पश्चिमी देशों की अधिकांश जनसंख्या विवाह को जीवन जीने का सही तरीका मानती है। आज भी प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण में इसको श्रेष्ठ संस्था के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। एन्थोनी गिडेन्स का मानना है कि निश्चित ही स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार ने स्त्री–पुरूष के बीच टकराव को उत्पन्न कर तलाक की दर को बढ़ाया है। परन्तु वे व्यक्ति जिनका तलाक हो चुका है अभी भी फिर से विवाह कर रहे हैं या करने के इच्छुक हैं। जे0सी0 बर्नार्ड जैसी लेखिका ने भी विवाह के भविष्य के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि निश्चित ही आधुनिक परिवर्तनों

ने विवाहों में परिवर्तनों की लहर पैदा की है। परन्तु ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि विवाह की संस्था पूर्णतः समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते है कि जिस प्रकार समय परिवर्तन शील है और प्रत्येक संस्थायें परिवर्तन के बहाव में है उसी प्रकार विवाह रूपी संस्था भी परिवर्तनशील है अर्थात उसके कुछ पक्षों में जरूर परिवर्तन हो रहे है लेकिन जब तक विवाह का उद्देश्य प्रजनन, बच्चों का पालन–पोषण और परिवार निर्माण का आधार रहेगा तब तक यह संस्था अपने बदले स्वरूप में हमेशा विद्यमान रहेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. गुप्ता मोती लाल, भारत में समाज संस्करण 2019, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
2. मुकर्जी डॉ0 रवीन्द्रनाथ, समाजशास्त्र की मूल अवधारणायें संस्करण 2021 एस0बी0पी0डी0 पब्लिकेशन आगरा।
3. पाण्डे, एस0एस0 समाजशास्त्र संस्करण 2010, टाटा मैग्ग्राहिल एजुकेशन प्राइवेट, लिमिटेड नई दिल्ली।
4. अग्रवाल, डा जी0के0, समाजशास्त्र, एस0बी0पी0डी0 पब्लिकेशन, आगरा।
5. मिश्र के0के0, पाण्डे डॉ0 संगीता, समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणायें, संस्करण 2021 भवदीय प्रकाशन अयोध्या।
6. सिंह जे0पी0, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन (21 वीं–सदी में भारत) पी0एच0आई0 लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।
7. बी0 कर परिमल, समाजशास्त्र सामाजिक अन्तः क्रियाओं का अध्ययन, जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीव्यूटर्स, नई दिल्ली।